शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1//1072/2017–1/44/आडिट/2017 लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की लेखा परीक्षा में उठायी गई आपत्तियों का निराकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के कार्यालय पत्रांक–सी–473/ले0प0दो0/पंचायत/बैठक/पी–43(ई), दिनांक 31–01–2018 (छायाप्रति संलग्न) जो समस्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को सम्बोधित व अन्य के साथ निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, का सदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पचायती राज संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों को उस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक विभाग के जिला व मण्डल स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त अनुपालन आख्या की अभिलेखीय आधार पर समीक्षा करते हुए संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0–पत्र सं0–1/110/2017–1/44/2017, दिनांक 01 मई, 2017 एवं अनुस्मारक पत्र सं0–1/270/2017, दिनांक 06 जून, 2017, समसंख्यक अनुस्मारक पत्र दिनांक 07–07–2017, दिनांक 28–07–2017, 22–09–2017, 15–11–2017, 12–01–2018 के द्वारा ग्राम पंचायतों के आडिट के संबंध में प्रारूप– I, II, III, iv, v पर सूचना उपलब्ध कराने तथा अद्यतन सूचना वेबसाइट पर अपलोड– प्रारूप पर भरने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लम्बित ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रस्तरों के संबंध में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के साथ समन्वय बैठक कर प्रस्तरों का अभिलेखीय आधार पर निस्तारण कराते हुए प्रगति रिपोर्ट पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड प्रारूप– I, II, III, iv, v पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से भर दी जाय। इस कार्य में किसी शिथिलता न बरती जाय।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या–1//1072/1/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहाकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उपरोक्त सूचना की निरन्तर समीक्षा करें और प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
5– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

1296

कार्यालय–मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : /ले0प0दो0/पंचायत/बैठक/पी–43(ई)/ दिनांक : 31/1/18

समस्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की लेखा परीक्षा में उठायी गयी आपित्तयों के अनुपालन की समीक्षा के सम्बन्ध में।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों को उस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व आपने निश्चित रूप से प्रशासनिक विभाग का पक्ष जान ही लिया होगा। प्रशासनिक विभागों के साथ सम्पन्न हुई बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रम में एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के जिला व मण्डल स्तरीय अधिकारियों को अनुपालन के लिए अन्तिम रूप से 15 दिन का अवसर देना सुनिश्चित करें एवं उक्त अनुपालन की समीक्षा अपनी आख्या सहित प्रेषित करते हुए तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन में संशोधन की संस्तुति स्पष्ट कारण सहित भेजना सुनिश्चित करें। जिससे शासन की मंशा के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रेषित किया जा सके। प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत होना है। अतः इसमें उल्लिखित प्रस्तरों से आप अभिलेखीय आधार पर भलीभॉति संतुष्ट हो लें।

(अवनीन्द्र दीक्षित)
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

पत्रांक : सी-473 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निर्देशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश ~~शासन~~।
2. उप सचिव समिति (वित्त)–4, विधान सभा भवन, लखनऊ।
3. समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

निदेशक
15/2/18

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज, उ0प्र0

21.2.18